प्रकरण संख्या 14/2017 राजुसिंह व अन्य बनाम हजारीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 व 5 से 8 के पिता सार्दुलसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम, तहसील भीम में आराजी नंबर 14362 रकबा 11 बिस्वा एवं 14363 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके 1350 फसली के नंबर 12422 है, जो वादीगण के पूर्वजों के हिस्से व कब्जे में चली आ रही है व वादीगण के पूर्वज अजबा वगैरह उक्त भूमि पर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर मूल पुरूष रतना जी थी, जिसके तीन पुत्र अजबसिंह, कानसिंह, लक्खासिंह हुए, जिनके वारिस वादीगण हैं, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पूर्वजों के स्थान पर प्रतिवादीगण के पूर्वज करणा पिता वजासिंह का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि ऐसा करने का सेटलमेन्ट वालों को कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम आ जाने के बाद कब्जा उनका कभी नहीं रहा, कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण जमीन पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 26.05.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 14362 रकबा 11 बिस्वा एवं 14363 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने दिनांक 15.02.2017 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस दिनांक 26–11–2024 को अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ जेठसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लिये	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested

जाने का निवेदन किया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट के पिता गोविन्दसिंह जी विगत एक वर्ष से बीमार रहे एवं दिनांक 26.01.2017 को उनकी मृत्यु हो गयी। उसके तीसरे दिन भैरूसिंह पिता दल्लासिंह ने अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में करीब 6–7 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी संख्या 6 गोविन्दसिंह का वादीगण के साथ कभी भी कोई राजीनामा नहीं हुआ। गोविन्दसिंह जी विगत एक वर्ष से बीमार रहे तथा घर पर बेड रेस्ट पर थे एवं इसी बीमारी हालत में दिनांक 26.01.2017 को उनकी मृत्यु हो गयी। राजस्व लोक अदालत में बिना सभी पक्षकारों की स्वीकृति एवं सहमति के निर्णय नहीं किया जा सकता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ही राजीनामें के एवं बिना अपीलान्टगण को सुने निर्णय पारित कर दिया। प्रतिवादी जेठसिंह एवं वादी सादुलसिंह की काफी समय पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके विधिक वारिसान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण वादीगण का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था। कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में या विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती। उक्त प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था, जिस पर कोई आदेश पारित किये बिना ही वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRD 1993 Page 220, RRT 2022 (2) Page 1310 पेश की।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधिक बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। आदेशिका दिनांक 02.01.2014 अनुसार प्रकरण आदेश 1 नियम 10 के जवाब हेतु नियत था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई जवाब लिये एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई आदेश पारित किये प्रकरण दिनांक 26.05.2016 राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RRT 2022 (2) Page 1310 अनुसार प्रकरण सभी पक्षकारों उपस्थिति में राजीनामे अनुसार लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार सभी पक्षकारों की सहमति होना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 जेठसिंह की मृत्यु दिनांक 11.11.2011 को हो चुकी थी, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जेठसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है तथा अपीलान्ट के कथनानुसार वादी संख्या 3 सार्दुलसिंह की भी दौराने वाद मृत्यु हो चुकी थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मृतक के कायम मुकाम कराये दिनांक 26.05.2016 को निर्णय पारित करते हुए डिक्री जारी कर दी, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण में हम पाते हैं कि अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलान्टगण को बिना सुने एवं बिना उनकी सहमति के वादीगण का वाद राजीनामें के आधार पर डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 165/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested